प्रादेशिक समाचार

दिनांक–14.06.2024 (सुबह 08:30 बजे)

मुख्य समाचार

- केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने का दिया निर्देश।
- मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त 35 हजार पदों को शीघ्र भरने का दिया निर्देश।
- झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर रोपवे हादसा मामले में अबतक कार्रवाई नहीं किये जाने पर जतायी नाराजगी, पर्यटन सचिव को 26 जून से पहले जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश।
- मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में 16 जून तक भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति बने रहने का जताया अनुमान, 20 जून तक मॉनसून के आने का दिया संकेत।

****

शिक्षा मंत्रालय ने विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार और पीएम–पोषण के तहत मुफ्त पोषण संबंधी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा–निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विशेष स्कूलों में पढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। इनमें निःशुल्क वर्दी, पाठ्य पुस्तकें और प्रधानमंत्री पोषण योजना के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन शामिल हैं।

****

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चयन प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। इसमें सरकार की नियमावली और रोस्टर का हर हाल में पालन होना चाहिये। उन्होंने पुलिस महानिदेशक और जेएसएससी के अध्यक्ष से झारखंड उत्पाद आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये 580 पद और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के चार हजार नौ सौ उन्नीस पदों पर बहाली प्रक्रिया अविलंब शुरू करने को कहा। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण इस माह शुरू हो जायेगा। मौके पर जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि आयोग की ओर से लगभग 35 हजार पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है।

****

झारखंड में पेसा कानून की नियमावली लागू करने का प्रयास शुरू हो गया है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पेसा कानून की नियमावली को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि झारखंड में एक बेहतर पेसा नियमावली लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।

****

कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोनगाड़ी ने कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को सिमडेगा जिले में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल नल योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की जानकारी दी। विधायक ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने वंचित परिवारों को जल जीवन मिशन योजना से जोड़ने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

****

रांची के बरियातू स्थित बड़गाई की 8 दशमलव आठ छह एकड़ जमीन घोटाला मामले के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दायर जमानत अर्जी पर कल सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से बताया कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल की आठ एकड़ से अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के तहत मनी लाउंड्रिंग है। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है। हेमंत की वकील ने कोर्ट में कहा कि बड़गाई की जमीन ना तो हेमंत की है और ना तो उनका उसपर पोजेशन है।

****

पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम डिमना वन प्रमंडल के बड़े भू–भाग पर बांस की खेती की योजना बनायी गयी है।

****

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी
वेबसाईट news on air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR news alerts

और फेसबुक पेज All India Radio news पर भी उपलब्ध है।

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

@AIR news अंडर स्कोर_ranchi

और

फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा

YOUTUBE Channel AIR NEWS Ranchi

पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते है।

****

झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर रोपवे हादसे में सरकार की ओर से अब तक कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी जतायी है। अदालत ने कोर्ट में उपस्थित पर्यटन सचिव मनोज कुमार से पूछा कि इस मामले में सरकार ढुलमुल रवैया क्यों अपना रही है। जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इस पर सचिव ने बताया कि इस मामले पर 26 जून को बैठक प्रस्तावित है। इस पर अदालत ने सचिव को 26 जून के पहले बैठक कर निर्णय लेकर कोर्ट को सूचित करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। बता दें कि अप्रैल 2022 में देवघर के त्रिकुट पर्वत पर रोपवे हादसा हुआ था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर स्वतंत्र संज्ञान लिया था और मामले की सुनवाई कर रहा है।

****

राजधानी रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के बाजरा में अपराधियों ने कल एक ज्वेलरी की दुकान से लाखों रूपये मूल्य के गहने लूटकर फरार हो गये। दुकान में लूट की सूचना मिलते ही पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया। हालांकि देर रात तक अपराधियों का पता नहीं चल सका। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

****

माता वैष्णोदेवी जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमले की विहिप और बजरंग दल के सदस्यों ने कड़ी निंदा की है। गिरिडीह जिला मुख्यालय में कल टावर चौक पर आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा की नेता प्रो विनीता कुमारी और शिवपूजन ने केंद्र सरकार से इस हमले के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की।

****

मौसम विज्ञान केंद्र ने झारखंड में 16 जून तक भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया है। केंद्र के अनुसार राज्य के अठारह जिलों में हीट वेव जारी है। कल पलामू, चतरा, गढ़वा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इधर मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि इस बार राज्य में मॉनसून 20 जून तक प्रवेश करेगा। पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बना था, जो अब कमजोर पड़ गया, इसके कारण मॉनसून की गति धीमी हो गयी है।

****

अखबारों की सुर्खियां

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने राज्य में सरकारी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के मुख्यमंत्री के निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

प्रभात खबर लिखता है– सितंबर तक 40 हजार को नौकरी।

दैनिक भास्कर ने रांची में ज्वेलरी दुकान से 50 लाख रूपये मूल्य के जेवर की लूट की घटना को पहली सुर्खी बनायी है।

दैनिक जागरण ने अयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों का भी इलाज कराने के सीएम के निर्देश की खबर को पहले पेज पर जगह दी है।

दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड में मुफ्त बिजली का दायरा और गैस पर सब्सिडी बढ़ाये जाने संबंधी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

राष्ट्रीय नवीन मेल ने राज्य में पेसा कानून जल्द लागू करने के मुख्यमंत्री के फैसले को पहले पेज पर जगह दी है।

अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के सरकार के निर्णय को पहली सुर्खी बनायी है।

****